दिनांक 31/01/2024 को देहरादून पुलिस ने जमीन दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपये की धोखाधडी करने वाला अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनाँक 21/08/2023 को वादी श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बच्ची राम निवासी ग्राम व पो0ओ0 रामडा तल्ला जिला चमोली गढवाल द्वारा कोतवाली पटेलनगर पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था कि विपक्षी अरविन्द मनोडी व उसके साथियों ने मुझे हरभजवाला मे जमीन दिखाई व अरविन्द मनोडी को जमीन का मालिक बताकर फर्जी इकरारनामा तैयार कर मुझसे 35 लाख रुपये धोखाधडी से हडप लिये और मेरी रजिस्ट्री नही कर रहे है। दाखिला प्रा0पत्र के आधार त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना पटेलनगर पर मु0अ0सं0- 450/2023 धारा 420/120बी/467/468/471/506 भादवि बनाम अरविन्द मनोडी आदि पंजीकृत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में अभियोग दर्ज होने के बाद से ही अभियुक्त लागातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार सुरागरसी / पतारसी कर अभियुक्त के घर व सम्भावित ठिकानो पर दबिश दी जा रही थी, जिसके क्रम मे दिनांक 30-01-2024 को अभियुक्त अरविन्द मनोडी को ISBT से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-

अरविन्द मनोडी पुत्र दयाराम मनोडी निवासी हरभजवाला पो0ओ0 मेंहूवाला थाना पटेलनगर जनपद देहरादून उम्र 31 वर्ष।

पुलिस टीम :-

01- उ0नि0 श्री सुनील कुमार

02- कानि0 हितेश कुमार